

**आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/रिफ्रे./शार्टटर्म/जयपुर/15/ 963

दिनांक: 03 अक्टूबर, 2019

डॉ. मीता माथुर,  
उप निदेशक  
यू.जी.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र,  
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

**विषय:** दिनांक 07.10.2019 से 12.10.2019 तक **Workshop on MOOCs e-content development and open educational resources** विषय पर आयोजित शार्ट टर्म कोर्स बाबत।


**सन्दर्भ :** आपका पत्रांक एचआरडीसी/2019/666 दिनांक 27.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 07.10.2019 से 12.10.2019 तक Workshop on MOOCs e-content development and open educational resources विषय पर आयोजित शार्ट टर्म कोर्स में भाग लेने के लिए निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को मनोनीत किया जाता है।

क्र.सं.	सह/सहायक आचार्य का नाम (श्री/श्रीमती/डॉ./सुश्री)	विषय	महाविद्यालय का नाम
1	श्रद्धा	गृहविज्ञान	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर
2	सरदार सिंह	भूगोल	राजकीय महाविद्यालय, भीम
3	दिलीप पंवार	इतिहास	राजकीय महाविद्यालय, नागौर
4	वीरेन्द्र शर्मा	इतिहास	राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर
5	मनीषा दवे	ए.बी.एस.टी.	राजकीय महाविद्यालय, बालोतरा
6	कैलाश चन्द्र जोशी	ए.बी.एस.टी.	राजकीय महाविद्यालय, रतनगढ (चूरु)
7	पंकज ग्रोवर	ए.बी.एस.टी.	राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा
8	ललिता परिहार	व्या. प्रशासन	राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर
9	ओमप्रकाश शर्मा	व्या. प्रशासन	राजकीय महाविद्यालय, सांभरलेक
10	सोनम बामनियां	वनस्पतिशास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, करौली


उक्त कोर्स में उपस्थित एवं अनुपस्थित होने वाले सह/सहायक आचार्यों की सूची आयुक्तालय को भिजवायेँ जिससे कि अनुपस्थित रहने वाले सह/सहायक आचार्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके। उक्त कोर्स में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता आपके द्वारा देय होगा। शेष अन्य व्यय प्रतिभागियों को स्वयं के स्तर पर वहन करना होगा।

भवदीय  
  
(डॉ. आर.सी.मीना)  
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)  
दिनांक: 03 अक्टूबर, 2019

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/रिफ्रे./शार्टटर्म/जयपुर/15/ 963

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

- संबंधित प्राचार्य कृपया निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-  
(अ) दिनांक 31.12.2008 से कैरियर एडवॉन्समेन्ट स्कीम(सी.ए.एस.) के तहत सभी सह/सहायक आचार्यों को वरिष्ठ वेतनमान के लिए एक ओरियन्टेशन व एक रिफ्रेशर कोर्स, चयनित वेतनमान के लिए वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात एक रिफ्रेशर कोर्स एवं पे-बैंड IV के लिये चयनित वेतनमान के पश्चात एक रिफ्रेशर/शार्ट टर्म कोर्स करना अनिवार्य है।  
(ब) महाविद्यालयों के जिन मनोनीत सह/सहायक आचार्यों को सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो केवल उन्हें ही कार्यमुक्त करें।  
(स) मनोनीत सह/सहायक आचार्यों (सी.ए.एस.के तहत पात्र)को उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए दिनांक 07.10.2019 को प्रातः 9.00 बजे निदेशक, यू.जी.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।  
(द) प्राचार्य मनोनीत सह/सहायक आचार्यों को समय सारिणी का समायोजन कर कार्य मुक्त करें।  
(य) दिनांक 01.01.2008 की गाइड लाइन की पालना करते हुये सर्विस बुक से परीक्षण कर यह सुनिश्चित करे की नामांकित सह/सहायक आचार्यों को अगली पदोन्नती के लिए कोर्स की आवश्यकता है या नहीं, उपरोक्त शर्त की पालना की व्यक्तिगत जवाब देही स्वयं प्राचार्य की होगी।
- संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे है तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्यों तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्यों द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्यों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा उन्हें एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/ कोटा/ उदयपुर/ अजमेर/ जोधपुर/ बीकानेर।
- वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कृपया आयुक्तालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- रक्षित पत्रावली।

  
(डॉ. आर.सी.मीना)  
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)